जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 11.06.2024**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बल्ला माजरा के जंगल में हुई वृद्ध व्यक्ति की हत्या की घटना का 06 घण्टे की अल्प समयवधि में सफल अनावरण करते हुए घटना में लिप्त 01 हत्याभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल फावड़ा व मोबाइल बरामदः-

आज दिनांक 11.06.2024 ग्राम बल्लामजरा थाना झिंझाना जनपद शामली में एक अज्ञात व्यक्ति की गर्दन कटे हुए शव की सूचना प्राप्त हुई । सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण व थाना प्रभारी झिंझाना मय फोर्स मौके पर पहुँचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आस-पास मौजूद लोगों से शव की शिनाख्त का प्रयास किया गया, तो शव की पहचान जलुरहमान पुत्र शफी निवासी बल्लामजरा थाना झिंझाना के रुप में हुई। घटनास्थल पर सर्विलांस सैल व फील्ड़ यूनिट की टीम ने भी मौके पर पहुँचकर महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन किये। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को घटना का शीघ्र अनावरण कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में आज दिनांक 11.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपरधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बल्ला माजरा के जंगल में हुई वृद्ध व्यक्ति की हत्या की घटना का 06 घण्टे की अल्प समयवधि में सफल अनावरण करते हुए घटना में लिप्त 01 हत्याभियुक्त को ग्राम बल्लामाजरा के जंगल से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से आलाकत्ल फावड़ा व मृतक का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मृतक फजलुरहमान मेरे पिता थे। फजलुरहमान गाँव जिजौला में मस्जिद में नमाज पढाते थे जो अपनी साईकिल से आते जाते थे। मैं अपने पिता की साईकिल बिना पूछे ले जाया करता था। आज भी मै अपने पिता की साईकिल बिना पूछे खेत पर ले गया था। मेरे पिता भी खेत पर काम करने गये थे। पिता जी ने जबरजस्ती साईकिल लेकर आने के बारे में पूछा तो वंहा पर हम दोनों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान मैने अपने पिता फजलुरहमान से फावडा लेकर उनकी गर्दन काटकर हत्या कर दी तथा गर्दन को इदरीस पुत्र हाजी फेझ अली निवासी बल्लामाजरा के खेत मे फेंक आया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.जूनैद पुत्र फजलू रहमान निवासी ग्राम बल्लामाजरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.आलाकत्ल 01 फावड़ा।

2.मृतक का 01 मोबाइल फोन सैमसंग कीपैड।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री अजयपाल थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0का अन्शुल पूनिया थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.है0का0 आशीष थाना झिंझाना जनपद शामली।

चौकी चौसाना, थाना झिंझाना (मो.नं. 9454404068)
112
किसी भी आपात स्थिति में
फोन उठाएं
112 मिलाएं
पुलिस कन्ट्रोल-रूम शामली । संपर्क नं. :- 9454405124 / 7839866073

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा आदर्शमण्डी क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग (बच्ची) के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को 24 घण्टे की अल्प समयवधि में किया गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 10.06.2024 को थाना आदर्शमण्डी क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के संबंध में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना आदर्शमण्डी पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक आदर्शमण्डी को निर्देशित किया गया था।

आज दिनांक 11.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग (बच्ची) के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को 24 घण्टे की अल्प समयवधि में गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.समद पुत्र साजिद निवासी मोहल्ला प्रेमनगर कस्बा बनत थाना आदर्शण्डी जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 101/24 धारा 376AB भादवि व 5M/6 पोक्सो अधिनियम थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री सचिन शर्मा थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री धर्मवीर सिंह थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

3.है0का0 विकास कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

4.म0का0 शीतल थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त किया गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 07.06.2024 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना कैराना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष कैराना को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 11.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मेहदी हसन पुत्र कासम अली निवासी ग्राम बराला कुकरहेड़ी थाना कैराना जनपद शामली।

अपराध गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 314/24 धारा 376(3),504,506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सुभाष कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 आकाशदीप थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम आदमपुर में जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 09.06.2024 को वादी श्री अजय उर्फ सोनू पुत्र सोमदत्त निवासी ग्राम आदमपुर थाना बाबरी जनपद शामली के माता-पिता के साथ दिनेश आदि 04 नफर अभियुक्तगण द्वारा धारदार हथियार, लाठी-डण्डों से जान से मारने की नीयत से हमला कर घायल करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। थाना बाबरी पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 11.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा बाबरी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम आदमपुर में जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अन्य अभियुक्तगण की शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.दिनेश पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम आदमपुर थाना बाबरी जनपद शामली।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री श्यामवीर सिंह थाना बाबरी जनपद शामली।

2.है0का0 श्याम सुन्दर थाना बाबरी जनपद शामली।

3.का0 मनीष कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

<u>थाना कांधला पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध गांजा बरामदः-</u>

आज दिनांक 11.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को 600 ग्राम अवैध गांजा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.सादिक उर्फ सादा पुत्र तय्यब निवासी मो0 नई बस्ती थाना कांधला जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 600 ग्राम गांजा।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 नरेन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 अरविन्द कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. वर्ष 2022 में अभियुक्त 1.राशिद पुत्र शाहदीन निवासी ग्राम लोहरीपुर थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 149/2023 धारा 379,427,411 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 11.06.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 379,427,411 भादवि में जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा व 10.000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2023 में अभियुक्त 1.मुस्तकीम उर्फ मानू पुत्र यूसुफ निवासी मौहल्ला राजो थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 404/2023 धारा 379, 411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 11.06.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 379, 411 भादवि में सुनाई जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.मुस्तकीम उर्फ मानू पुत्र यूसुफ निवासी मौहल्ला राजो थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2.पुत्र शाहदीन निवासी ग्राम लोहरीपुर थाना कांधला जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI